सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2021 / 168 दर्ज तिथिः–01.01.2021

1. धनी पुत्री खेमाराम जाति जाट निवासी मूढसर,(कोठाला) पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

................अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बोर चारणान
2. खियाराम पुत्र खेमाराम
3. रामाराम पुत्र खेमाराम
4. केहरा पुत्र खेमाराम
5. मालु पुत्री खेमाराम
   जाति जाट निवासी निवासी मूढसर,(कोठाला) पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर ....असल प्रत्यर्थी

6. तहसीलदार धोरीमन्ना

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः–श्री जगदीश कुमार
प्रत्यर्थीः–एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज.भू–राजस्वअधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–07.02.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतःविवरणइस प्रकार से हैः–
   - कि हाल आराजी खसरा 169 रकबा 51–04 बीघा व खसरा संख्या 171 / 1 रकबा 45–19 [illegible] पटवार हल्का बोर चारणान ग्राम पंचायत बोर चारण[illegible] तह[illegible] धोरीमन्ना में अवस्थित है।
   - कि उक्त आराजी [illegible] के नाम से [illegible] लगान जारी हुआ,[illegible] होने पर उक्त आ[illegible] उनके वारीश देवा,देराज,खेमा,सालु पिसवान शेराराम के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested

उनके वारीश देवा,देराज,खेमा,सालु पिसवान शेराराम के नाम दर्ज हुई।खेमा के फौतगी पर वारिसान के नाम दर्ज होनी थी परन्तु राजस्व कार्मिकों की भूल से उक्त आराजी खेमा के तीन पुत्र खियाराम,रामाराम,व केहराराम के नाम दर्ज करवा दी जबकि खेमा की पुत्री धनी व मालु का नाम खाते में दर्ज नहीं किया गया जबकि पैतृक भूमि में नाम दर्ज करवाने की अधिकारीणी थी।

- कि स्वर्गीय खेमा पुत्र शेरा के फौत होने पर उनके विधिक वारिशान अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना था परन्तु उतरदाता संख्या 2 से 4 ने धोखे से अपीलान्ट का नाम खेमा के वारिशों में रूप में नहीं बताया जिससे हल्का पटवारी द्वारा भरे गए म्युटेशन में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है तथा हल्का पटवारी द्वारा म्युटेशन में की गई रिपोर्ट में लिखा है कि खियाराम,रामाराम,केहराराम का नाम लिखा गया है जिसको ग्राम पंचायत ने बिना कोई ग्राम सभा उक्त विवादास्पद नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया जबकि खेमा के अपीलान्ट व मालु दोनों पुत्रियां विधिक वारिसान थी।
- कि अपीलान्ट ने उतरदाता संख्या 2 से 4 सगे भाई होने से कभी भी संदेह नहीं किया कि अपीलान्ट का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है। आज से एक माह पूर्व ऑनलाईन जमाबंदी में अपीलान्ट का नाम नहीं आने पर हल्का पटवारी से पूछताछ की तब अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने की जानकारी हुई तब अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 15 की नकल दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त हुई तो अपीलान्ट को सर्वप्रथम आलोच्य नामान्तकरण की जानकारी प्राप्त हुई जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील श्रीमानजी के समक्ष माननीय न्यायालय में पेश की है।

2. कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आलौच्य आदेश के विरूद्व अपील के निम्न आधार है–
   - कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट का नाम नहीं है जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में अपीलान्ट स्वर्गीय खेमा की जायदा पुत्री होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुत्र पुत्रियां जन्म से अपने पिता की सम्पति में प्रथम श्रेणी की वारिश के रूप में पैतृक सम्पति की हकदार हो जाती है। इस प्रकार अपीलान्ट के जन्म के साथ ही हक हिस्सा उत्पन्न हो जाने से उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं करने से अपीलान्ट के हक हिस्से तक शुरू से ही शून्य होने से निरस्त योग्य है इसलिए आलौच्य आदेश को अपास्त किया जावें।
   - कि खेमा के फौत होने पर नामान्तकरण [illegible] पटवारी के नोट में सजरा के अनुसार खेमा के फौतगी के [illegible] बाद गलत सूचना द्वारा तीनों पुत्रों का नाम लिखा तथा पत्नी के [illegible] होना की दर्ज कर अपीलान्ट खेमा की पुत्री [illegible] तथ्य दर्ज करके नाम दर्ज नहीं किया जो गलत होने से [illegible]करण निरस्त योग्य है।
   - आलौच्य नामान्तकरण संख्या 15 में भारी अनियमितता तथा अर्थ दण्ड की कार्यवाही दर्ज नहीं होने से तथा धारा 134 आल आर आर एक्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested

तहत तीन चार वर्ष के विलम्ब का पेनल्टी राशि का इन्द्राज नहीं होने से तकनीकी रूप से प्रथम दृष्टया निष्प्रभावी व शून्य है।

- कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व फौत खेमाराम के विधिक वारिशों की बिना जांच किये हल्का पटवारी द्वारा षडयंत्र पूर्वक व धोखाधड़ी से भरे गये म्युटेशन की हुबहु पारित करना अवैधानिक होने से अपीलान्ट के हको के प्रति नल एवं वौईड होने से इसको पश्चात उक्त आराजी के संबंध में की गई परिविष्ठीया शून्य होने से निरस्त होने योग्य है।
- अपीलान्ट की अनपढ़ता व महिला होने से नामान्तरकरण की अपील पेश करने में हुआ विलम्ब पैतृक भूमि होने से तकनिकी आधार पर किसी का हक नही छिना जा सकता है इसीलिए म्याद में सुमार किया जाना न्यायोचित है इस हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खेमा के फौतगी के नामान्तरकरण में तीन पुत्र व पत्नी (फौत) हल्का पटवारी व सरपंच ने माना है जबकि पुत्री के सम्बंध में कोई जांच नही की गई तथा अपीलान्ट द्वारा पेश जमाबंदी में खेमा की पुत्री प्रमाणित है तथा हिन्दू विधि अनुसार वैधानिक वारीस है तथा खेमा के फोत होने पर पारित ना. सं. 15 दिनांक 20.01.2018 में 3 पुत्र का नाम अंकित किया जबकि धनी व मालू का नाम अंकित नही किया गया जबकि अपीलान्ट व उतरदाता हिन्दू विधि से शासित होने से नाम दर्ज होना था तथा इस अनुसार नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 20.01.2018 के अवलोकन से खेमा फोत होने पर अपीलान्ट का उतरदाता 1 से 3 के साथ नाम अंकित नही करने से ना. स. 15 दिनांक 20.01.2018 विधि विरूद्व व शुन्य है। ना. स. 15 जो 2018 में पारित किया जबकि अपील 2021 में पेश की परन्तु अपीलान्ट अनपढ़ होने व पितृशोक में होने से जानकारी नही हो पाई तथा वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी में नाम नही आने से पता करने पर राजस्व रेकर्ड में नाम नही होने पर जानकारी होने से न्याय हित में बिलम्ब माफ किया जाना न्यायं सगत है तथा ना. स. 15 दिनांक 20.01.2018 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को स्व. खेमा के वैध वारीसो के नाम दर्ज करने हेतु पुनः प्रेषित किया जाना न्यायसंगत है ताकि दोनो पक्षो को सुनकर खेमा के 5 वारीसो का बराबर हिस्सा अंकित हो सके।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभीमत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मौजा आलम नगर पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना में खसरा नम्बर 169 रकबा 51–04 बीघा व खसरा संख्या 171/1 रकबा 45–16 [illegible] का नामान्तरकरण में उतरदाता संख्या 1 द्वारा वर्ष 2018 को पारित [illegible] संख्या 15 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को पुनः जांच व पुनः [illegible] हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित व विधि संगत होगा। [illegible] अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested

धनी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बोर चारणान
2021/168
निर्णय दिनांकः—07.02.2025

आदेश है कि

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 20.01.2018 जो ग्राम पंचायत बोर चारणान द्वारा पारित किया के विरूद्ध अपील भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट की खातेदारी आराजी पटवार क्षेत्रफल बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के मौजा आलमनगर के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 169 रकबा 51—04 बीघा व खसरा संख्या 171/1 रकबा 45—16 बीघा किस्म बा.सो. में पारित नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 20.01.2018 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त नामान्तरकरण अपास्त करने के बाद पुनः दर्ज कर अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 1 से 5 का इनके पिता खेमाराम की भूमि में 1/5 हिस्सा कुल आराजी में 1/20—1/20 हिस्सा दर्ज किया जाकर अपीलान्ट के हक हिस्से से अधिक अंतरण को शुन्य मानते हुए अपीलान्ट का सम्पुर्ण आराजी में 1/20 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाकर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

7/2/2025

(भागीरथराम, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested